OFFICE OF FILM
& LITERATURE
CLASSIFICATION
Te Tari Whakarōpū Tukuata, Tuhituhinga

न्यू ज़ीलैण्ड में सैन्सरशिप

हिन्दी भाषा में हमारी सैन्सरशिप की जानकारी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि यह जानकारी न्यूज़ीलैण्ड में सैन्सरशिप संबंधी आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएगी।

यदि आपके टैलीविज़न व रेडियो सैन्सरशिप संबंधी कोई प्रश्न हों तो कृपया ब्रॉडकॉस्टिंग स्टैण्डर्डस् अथॉरिटी की वैबसाईट - www.bsa.govt.nz को देखें।

न्यू ज़ीलैण्ड के सैन्सरशिप कानून को *'चलचित्र, विडियो एवं प्रकाशन वर्गीकरण अधिनियम 1993' (THE FILMS, VIDEOS AND PUBLICATIONS CLASSIFICATION ACT 1993)* कहा जाता है

यह कानून फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण कार्यालय को फ़िल्मों, डी वी डीज़, पुस्तकों, विडियो-खेलों, पत्रिकायों एवं कंप्यूटर फ़ाईलों जैसी सामग्रियों का वर्गीकरण करने की अनुमति देता है। फ़िल्मों को न्यूज़ीलैण्ड में बेचने, किराये पर देने, अथवा प्रदर्शित करने हेतु अधिकृत न्यू ज़ीलैण्ड वर्गीकरण लेबलों की आवश्यकता होती है। एक निश्चित आयु तक के अव्यस्कों हेतु प्रतिबन्धित विडियो-खेलों को न्यू ज़ीलैण्ड में बेचने, किराये पर देने, या प्रदर्शित करने हेतु उन पर अवश्य ही न्यू ज़ीलैण्ड के अधिकृत वर्गीकरण लेबल लगे होने चाहिएं।

सैन्सरशिप कानून आपको एवं आपके परिवार को कैसे प्रभावित करता है

न्यू ज़ीलैण्ड में सैन्सरशिप कानून आपके परिवार को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में सहायता करता है।

सैन्सरशिप कानून संबंधी आपको क्या जानने की आवश्यकता है

- वर्गीकरण लेबल पर एक निश्चित आयु तक के अव्यस्कों को प्रतिबन्धित डी वी डीज़ या विडियो-खेल देना कानून के विरुद्ध है।
- कम आयु वाले लोगों को आयु-प्रतिबन्धित डी वी डीज़, विडियो-खेल, पुस्तिकायें, पत्रिकायें, अथवा कंप्यूटर फ़ाईलें देना भी कानून के विरुद्ध है चाहे उस आयु-प्रतिबन्धित सामग्री पर आयु-प्रतिबन्धित वर्गीकरण लेबल न भी लगा हो।

- 18 वर्ष से कम की आयु वाले लोगों को काम-विषयक भावनाएं भड़काने वाली डी वी डीज़, पुस्तिकायें, पत्रिकायें या कंप्यूटर फ़ाईलें देना कानून के विरुद्ध है।

आयु-प्रतिबन्धित विषय-वस्तु के प्रकार संबंधी जानकारी हेतु आयु-प्रतिबन्धित विषय-वस्तु नीचे पढ़ें।

लाल वर्गीकृत लेबल्स वैधता आयु प्रतिबन्धित हैं

वर्गीकरण लेबल्स के रंग एक चौराहे पर लगी आवाजाही-बत्ती की तरह हैं:

- हरे रंग का अर्थ है कि फ़िल्म को कोई भी देख सकता है।
- पीले रंग का अर्थ है कि कोई भी इस फ़िल्म को देख तो सकता है परन्तु यह फ़िल्म कुछ दर्शकों हेतु अनुपयुक्त हो सकती है।
- लाल रंग का अर्थ है कि यह फ़िल्म आयु-प्रतिबन्धित है। आप इस फ़िल्म को लेबल पर वर्णित आयु से कम के लोगों को न दिखायें।

एक वर्गीकरण लेबल पर वर्णनात्मक टिप्पणी आपको किसी भी फ़िल्म के विषय-वस्तु संबंधी सूचित करती है। यह विषय-वस्तु कुछ लोगों को परेशान व आहत कर सकती है।

वर्गीकरण लेबल्स

जी - यह फ़िल्म सभी के लिए उपयुक्त है।

पी जी - कोई भी इस फ़िल्म को देख सकता है। यदि छोटे बच्चे इस फ़िल्म को देख रहे हैं तो उन्हें किसी अभिभावक या ज़िम्मेदार व्यस्क की अगुवाई में रखने की सिफ़ारिश की जाती है।

एम - कोई भी इस फ़िल्म को देख सकता है। यह फ़िल्म 16 वर्ष की अधिक से आयु के लोगों हेतु अधिक उपयुक्त है।

आर पी 13 - यह फ़िल्म 13 वर्ष से कम के लोगों को दिखाना तब तक ग़ैर-कानूनी है, जब तक कि फ़िल्म देखते समय उनके साथ कोई ज़िम्मेदार व्यस्क न हो।

आर पी 16 - यह फ़िल्म 16 वर्ष से कम के लोगों को दिखाना तब तक ग़ैर-कानूनी है, जब तक कि फ़िल्म देखते समय उनके साथ कोई ज़िम्मेदार व्यस्क न हो।

आर 13 - यह फ़िल्म 13 वर्ष से कम की आयु के लोगों को दिखाना ग़ैर-कानूनी है।

आर 15 - यह फ़िल्म 15 वर्ष से कम की आयु के लोगों को दिखाना ग़ैर-कानूनी है।

आर 16 - यह फ़िल्म 16 वर्ष से कम की आयु के लोगों को दिखाना ग़ैर-कानूनी है।

आर 18 - यह फ़िल्म 18 वर्ष से कम की आयु के लोगों को दिखाना ग़ैर-कानूनी है।

डी वी डीज़ बेचना

यदि आप न्यू ज़ीलैण्ड में अपनी डी वी डीज़ बेचते हैं तो आपको वर्गीकरण लेबल्स प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि आप न्यू ज़ीलैण्ड के वर्गीकरण लेबल्स के बग़ैर ही डी वी डीज़ बेचते हुए पाए जाते हैं, तो आपको 3,000 डॉलर तक का जुर्माना किया जा सकता है।

आयु प्रतिबन्धित एवं ग़ैर-कानूनी सामग्री

आयु प्रतिबन्धित विषय-वस्तु

जो विषय-वस्तु आयु-प्रतिबन्धित हो सकते हैं, उनमें यह सम्मिलित हैं:

- काम-विषयक
- भय
- अपराध एवं ख़तरनाक व्यवहार
- अत्याचार
- हिंसा
- अधिक गाली-गलोच वाली भाषा
- आत्महत्या अथवा स्वयं का नुकसान

ग़ैर-कानूनी विषय-वस्तु

न्यू ज़ीलैण्ड में कुछ विषय-वस्तु सदैव ग़ैर-कानूनी हैं:

- काम-विषयक विषय-वस्तु जिसमें बच्चे सम्मिलित किए गए हों
- ऐसा विषय-वस्तु जो काम-विषयक हिंसा एवं ज़बरदस्ती को उत्साहित करता हो
- ऐसा विषय-वस्तु जो अत्याचार या अत्यधिक हिंसा को उत्साहित करता हो
- काम-विषयक विषय-वस्तु जिसमें जानवरों को सम्मिलित किया गया हो
- काम-विषयक विषय-वस्तु जिसमें मृत शरीरों को सम्मिलित किया गया हो
- काम-विषयक विषय-वस्तु जिसमें मूत्र अथवा मल को सम्मिलित किया गया हो

कुछ अन्य विषय-वस्तु भी न्यूज़ीलैण्ड में ग़ैर-कानूनी हो सकते हैं। इन में ये सम्मिलित हैं, जो:

- आपराधिक व्यवहार को उत्साहित करता हो
- हिंसा को उत्साहित करता हो
- बच्चों के साथ काम-विषयक ज़बरदस्ती को उत्साहित करता हो

- बाल नग्नता का शोषण करता हो
- अपमानित आचार एवं पक्षपात को उत्साहित करता हो

ग़ैर-कानूनी सामग्री को अपने पास रखना एक अपराध है

ग़ैर-कानूनी सामग्री को अपने पास रखना, अथवा इन्टरनैट से उसे डाऊनलोड करना, अथवा उसका वितरण करना एक अपराध है। आपको ऐसी ग़ैर-कानूनी सामग्री को अपने पास रखने, अथवा इन्टरनैट से डाऊनलोड करने, या उसका वितरण करने पर 10 वर्ष के कारावास की सज़ा हो सकती है। ग़ैर-कानूनी विषय-वस्तु के प्रकार संबंधी जानकारी हेतु उपर्युक्त *ग़ैर-कानूनी विषय-वस्तु* को पढ़ें।

न्यू ज़ीलैण्ड में सैन्सरशिप प्रणाली

न्यू ज़ीलैण्ड में एक से अधिक संगठन सैन्सरशिप हेतु ज़िम्मेदार हैं

कार्यालयः फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण

- हम एक स्वतंत्र सरकारी संगठन हैं।
- फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण के कार्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ़ सैन्सर है।
- हम उस सामग्री का वर्गीकरण करते हैं, जिसे आयु-प्रतिबन्धित करने अथवा जिस पर प्रतिबन्ध करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी कोई भी वस्तु आयु-प्रतिबन्धित हो सकती है अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है जिस में काम, भय, अपराध, अत्याचार, हिंसा अथवा गाली-गलौच वाली भाषा सम्मिलित हो सकती है।
- हम न्यू ज़ीलैण्ड में सभी आयु-प्रतिबन्धित फ़िल्मों, डी वी डीज़ एवं विडियो-खेलों का वर्गीकरण करते हैं।
- हम पुस्तकें, पत्रिकाएं, कंप्यूटर फ़ाईलें एवं और भी संबंधित सामग्री का वर्गीकरण कर सकते हैं।

फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण का कार्यालय जनता के प्रश्नों एवं शिकायतों के उत्तर भी देता है। हम सैन्सरशिप के मुद्दों संबंधी अनुसंधान करते हैं। हम सैन्सरशिप संबंधी निःशुल्क परामर्श, जानकारी एवं संसाधन भी प्रदान करते हैं।

आम जनता में से कोई भी व्यक्ति फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण के कार्यालय को किसी भी वस्तु जैसे कि पुस्तक अथवा पत्रिका का वर्गीकरण करने के लिए कह सकता है। कुछ भी वर्गीकृत करवाने हेतु निम्नलिखित *फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण के कार्यालय से संपर्क करें* देखें।

The Film and Video Labelling Body (फ़िल्म एवं विडियो लेबलिंग इकाई)

- उन फ़िल्मों, डी वी डीज़ एवं विडियो-खेलों का वर्गीकरण करती है जो आयु-प्रतिबन्धित *नहीं* हैं।
- सभी फ़िल्मों एवं डी वी डीज़ हेतु वर्गीकरण लेबल्स प्रदान करती है।

न्यू ज़ीलैण्ड में पुलिस, कस्टम्स, एवं आंतरिक मामलों का विभाग सैन्सरशिप कानून लागू करते हैं

आंतरिक मामलों का विभाग

आंतरिक मामलों के विभाग की Censorship Compliance Unit (सैन्सरशिप अनुपालन इकाई) वह मुख्य संगठन है जो न्यू ज़ीलैण्ड में सैन्सरशिप कानून को लागू करता है। फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण के कार्यालय द्वारा निर्णीत वर्गीकरणों को सैन्सरशिप अनुपालन इकाई लागू करती है। वर्गीकरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों या संगठनों पर यह सैन्सरशिप अनुपालन इकाई मुकद्दमा भी चला सकती है।

यदि आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन सैन्सरशिप कानून को तोड़ रहा है, तो सैन्सरशिप अनुपालन इकाई से संपर्क करें। सैन्सरशिप अनुपालन इकाई से संपर्क करें:

- censorship@dia.govt.nz
- 0800 257 887
- www.dia.govt.nz/Services-Censorship-Compliance-Index

न्यू ज़ीलैण्ड कस्टम्स सर्विस

कस्टम्स सर्विस अन्य देशों से प्रतिबन्धित सामग्री का प्रवेश रोकती है। कस्टम्स सर्विस से संपर्क करें:

- feedback@customs.govt.nz
- 0800 428 786

पुलिस

पुलिस न्यू ज़ीलैण्ड के सैन्सरशिप कानून को लागू करने हेतु कस्टम्स सर्विस एवं आंतरिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर काम करती है। और अधिक जानकारी हेतु अपने स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क करें।

फ़िल्म एवं साहित्य वर्गीकरण के कार्यालय से संपर्क करें

फिल्म एवं साहित्य वर्गीकरण का कार्यालय न्यू ज़ीलैण्ड में सैन्सरशिप संबंधी शिकायतों की सुनवाई करता है तथा प्रश्नों के उत्तर देता है। फिल्म एवं साहित्य वर्गीकरण के कार्यालय से संपर्क करें:

- information@censorship.govt.nz
- 0508 236 767